प्रेस नोट दिनांक 04.08.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म, पॉक्सो एवं अपहरण के अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी मानिकपुर श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में थाना मानिकपुर के उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह का0 रामदेव व म0का0 वन्दना चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचन पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/187/ 64 (2)(M) बीएनएस व 5(L) 6 पाक्सो एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ के अभियोग से संबंधित अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र उदय राज यादव नि- भानापुर यादवपट्टी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत भानापुर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वादी की पुत्री निवासी ग्राम अंगन का पुरवा यादव पट्टी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ से बहुत दिनों से प्यार करता हुं तथा शादी करना चाहता था लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी इसलिये मैने दिनांक 30.07.2026 को दिन मे वादी के मोबाईल पर फोन करके बात किया और वादी की पुत्री से कहा कि चलो मेरे साथ भाग चलो मैं तुमसे शादी कर लूँगा तब वादी की पुत्री गाँव के पास मिली जिसको मैं लेकर बस से कानपुर चला गया तभी पता चला कि वादी की पुत्री के घरवालों ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया है। तब मैने सोचा कि वादी की पुत्री को उसके घर पर छोड़ दिया जाये, फिर मैने वादी की पुत्री को लेकर के दिनांक 31.7.26/1.8.26 की रात को उसके घर के पास छोडकर भाग गया। मैने वादी की पुत्री के साथ कई बार सम्बन्ध बनाये हैं तथा उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ आज मुझे पता चला कि पुलिस मुझे तलाश रही है इसलिये मैं पुलिस से बचने के लिये अपना मोबाईल स्विच आफ करके अपनी माँ का मोबाईल लेकर तथा अपने मामा की मो0सा0 से निकला था जिससे कि पुलिस मुझे पकड न पाये।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अनिल कुमार पुत्र उदय राज यादव नि- भानापुर यादवपट्टी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह का0 रामदेव व म0का0 वन्दना चौहान थाना मानिकपुर प्रतापगढ़।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 बाल अपचारी अभिरक्षा में, घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 नामजद अभियुक्त संजय शुक्ला को गिरफ्तार तथा 01 बाल अपचारी को विधिक प्रक्रिया के तहत अभिरक्षा में लेकर घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल बरामद की गई ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम पूरे बोधी सिंह, पोस्ट रानीगंज कैथौला, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना लालगंज पर तहरीर दी गई कि दिनांक 02.08.2026 को उनका पुत्र एवं भांजे के साथ स्कूटी से रानीगंज बाजार घरेलू सामान खरीदने गया था। पुलिस चौकी रानीगंज कैथौला से कुछ आगे टाटा टियागो कार के चालक संजय शुक्ला एवं सुजल शुक्ला उर्फ हैप्पी, निवासीगण ग्राम अगई खास, थाना लालगंज, द्वारा वाहन पीछे करते समय स्कूटी में टक्कर मार दी। विरोध करने पर दोनों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा सौरभ सिंह के भागने पर उसे घेरकर जान से मारने की नीयत से असलहे से फायर कर दिया, जिससे गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के दौरान अभियुक्तों द्वारा हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा मौके से फरार हो गए। घायल को उपचार हेतु ट्रामा सेंटर लालगंज, जिला अस्पताल प्रतापगढ़ होते हुए स्वरूप रानी अस्पताल, प्रयागराज रेफर किया गया, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 293/2026 धारा 109(1), 3(5), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा अभियोग से संबंधित नामजद अभियुक्त संजय शुक्ला पुत्र सूर्यनारायण शुक्ला, निवासी ग्राम अगई खास, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को विधिक प्रक्रिया के तहत अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल बरामद की गई है। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 30 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गई है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त व बाल अपचारी का विवरण-
1. संजय शुक्ला पुत्र सूर्यनारायण शुक्ला, निवासी ग्राम अगई खास, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।
2. 01 बाल अपचारी ।

बरामदगी-
घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह हे0का0 जाहिद हुसैन, का0 नीतीश यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना उदयपुर के उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का0 गिरीश कुमार व का0 विधिचन्द्र द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान माननीय न्यायालय जे0एम0 महोदय लालगंज जनपद प्रतापगढ़ द्वारा फौ0वा0सं0 659/13 राज्य बनाम विमलेश कुमार सोनी अ0सं0 13/06 धारा 4/10 वन अधिनियम थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ से सम्बन्धित 01 अभियुक्त विमलेश पुत्र जीतलाल सोनी निवासी ग्राम रेहुआलालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. विमलेश पुत्र जीतलाल सोनी निवासी ग्राम रेहुआलालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का0 गिरीश कुमार व का0 विधिचन्द्र थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा कुल 01.145 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त नौसाद को किया गया गिरफ्तार-

थाना देल्हूपुर पुलिस अभियुक्त को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत कृष्णा ढाबा के बरामदे में ग्राम पूरे नियादर के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में उ0नि0 शिवा प्रजापति मय हमराह उ0नि0 विनीत कुमार, हे0का0 अरुण राय व का0 विनय कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त नौसाद पुत्र खलील अहमद निवासी ग्राम सहेरूआ विश्वनाथगंज थाना देल्हपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को कुल 01.130 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत कृष्णा ढाबा के बरामदे में ग्राम पूरे नियादर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से कुल 01.130 कि0ग्रा0 अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना देल्हूपुर में मु0अ0सं0 123/2026 धारा 8/20 NDPS थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. नौसाद पुत्र खलील अहमद निवासी ग्राम सहेरूआ विश्वनाथगंज थाना देल्हपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष।

अभियुक्त नौसाद पुत्र खलील अहमद निवासी ग्राम सहेरूआ विश्वनाथगंज थाना देल्हपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 37/2024 धारा 498A/323/504/506/406 भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना महिला थाना जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 114/2026 धारा 296 बीएनएस थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
कुल 01.130 कि0ग्रा0 अवैध गांजा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 शिवा प्रजापति मय हमराह उ0नि0 विनीत कुमार, हे0का0 अरुण राय व का0 विनय कुमार थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बयान-
जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।